

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के संदर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के प्रति प्रकाशित विज्ञप्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित विवरण के आधार पर जनपद गोरखपुर हेतु निर्धारित 739 सीटों के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय अनन्तिम चयन सूची के उपरान्त अवशेष रिक्त सीटों से अधिक संख्या में द्वितीय जाँच सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट आफ मेरिट का विवरण कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्थान के सूचना पट्ट पर चरपा है। द्वितीय जाँच सूची एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो www.gorakhpur.nic.in क्लिक कर देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र/मूल निवास प्रमाण पत्र तथा दो सेट स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं पास पोर्ट साइज दो नवीनतम फोटो, दो फाईल कवर व टैग के साथ निम्नांकित तिथियों पर प्रातः 10:00 बजे से कार्यक्रम के अनुसार संस्थान में उपस्थित हों।
प्रमाण पत्रों की जाँच—

समस्त महिला अभ्यर्थिनी एवं पुरुष शिक्षा मित्र—दिनांक 04.01.2010

समस्त पुरुष अभ्यर्थी कला वर्ग दिनांक— 06.01.2010

समस्त पुरुष अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग दिनांक—07.01.2010

समस्त छूटे हुए महिला अभ्यर्थिनी दिनांक 08.01.2010

समस्त छूटे हुए पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 09.01.2010

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 द्वितीय जाँच सूची हेतु कट आफ मेरिट—

श्रेणी	शिक्षा मित्र से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनारक्षित	251.52	228.08	253.54	243.86	162.90	—
अनु0जाति	156.81	209.42	215.97	175.47	—	176.00
अनु0जन0जाति	—	218.61	—	—	—	—
पिछड़ा वर्ग	—	183.26	239.49	230.34	—	167.15

विशेष आरक्षण—

महिला— पी0एच0—07— 233.33

महिला—शिक्षा मित्र—पी0एच0—06— 221.32

महिला—शिक्षा मित्र—पी0एच0—07— 217.38

पुरुष—शिक्षा मित्र—भू0पू0सै0—09— 166.63

नोट— यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा। जारी की गयी द्वितीय जाँच सूची माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, आरक्षण नियमों एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी। जाँच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है।

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
गोरखपुर।

कार्यालय-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर।

पृ0सं0 / वि0बी0टी0सी0-2008 /

२९-१००

/2009-10 दिनांक:-

२५/१५/०९

01. प्रतिलिपि-प्रबन्धक,पॉम एडवोटाईजिंग, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्र " दैनिक जागरण" में उत्तर प्रदेश के समस्त संस्करण एवं दैनिक समाचार पत्र " अमर उजाला" के गोरखपुर संस्करण में प्रकाशित कराकर बिल एवं समाचार पत्र की दो-दो प्रतियाँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति (12 CM X 10 CM) के बाक्स में होगा।

02. प्रतिलिपि अधीक्षक एन0आई0सी0 गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने वेबसाईट पर संलग्न सी0डी0 एवं विज्ञप्ति डारून लोड करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
गोरखपुर।